संख्या-770/2023/1589 /35-4-2023/35-4099/198/2021

प्रेषक,

जे० एल० यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 22 अगस्त, 2023

विषय: जनपद-फतेहपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद, फतेहपुर में शासनादेश संख्या-256/2021/2047/35-4-2021,दिनांक 26 नवम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 16 कार्यों की रू0 300.33 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू० 234.23 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, फतेहपुर के पत्र सं0-139/त्वरितआ0वि0/2021-22, दिनांक 25 मई, 2023 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 16 कार्यों की अनुमोदित लागत रू० 300.33 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 234.23 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए 16 कार्यों के सापेक्ष 14 कार्यो (उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों में से क्रमांक-5 एवं 7 पर अंकित कार्यों की पूर्ण धनराशि प्रथम किश्त में ही अवमुक्त की जा चुकी है) हेतु अवशेष रू० 66.10 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू० 66.10 लाख (रूपये छियासठ लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	ग्राम किशनपुर में ऐलई डामर रोड़ से दयासागर द्विवेदी के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	15.43	15.00	0.43

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	ग्राम सुखनापुर मेन रोड से बच्चू लाल विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	16.98	15.00	1.98
3	ग्राम बिछियावां में पूरनलोधी के घर से राजासिंह के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	24.72	15.00	9.72
4	ग्राम मखौआ में मेनरोड से मोहन निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	16.67	15.00	1.67
5	ग्राम अढैया में रोड़ माता मदनपाल के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	17.77	15.00	2.77
6	ग्राम नसीरपुर मेन रोड़ से ज्ञानेन्द्र निषाद के घर होकर आबादी तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	23.16	15.00	8.16
7	ग्राम बहलोलपुर ऐलई में शीतला मंदिर से बुध्दराम साहू के घर होकर कंधई पंडित के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	19.48	15.00	4.48
8	ग्राम भादर में मेन रोड से बाबूलाल पासवान के घर होकर रज्जन पंडा के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	19.48	15.00	4.48
9	ग्राम छीमी में में रोड़ से चन्द्र किशोर बढ़ई के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	20.33	15.00	5.33
10	ग्राम मझिलगांव मेन रोड से प्रा०वि० होकर पासिनपुरवा तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	23.19	15.00	8.19
11	ग्राम पटेरवापर में जगतपाल के घर से इन्द्रपाल के घर से होकर सोहनलाल पासवान के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	20.54	15.00	5.54
12	ग्राम टेनी में मेन रोड से विजय बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	18.26	15.00	3.26
13	ग्राम सुजानीपुर मेन रोड से शिवसिंह के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	18.08	15.00	3.08
14	ग्राम खासमउ, गुड्डू सिंह के घर से हरीशंकर तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	22.01	15.00	7.01
	योग	276.10	210.00	66.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर,2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये धनराशि रू० 66,10,000 (रूपये छियासठ लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,
जे०एल० यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या-770/2023/1589 /35-4-2023/35-4099/198/2021/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ,फतेहपुर ।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फतेहपुर ।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फतेहपुर ।
14- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन|
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जे०एल० यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।